

# बी ऍफ़ टी पुस्तिका (हैंडबुक)

तकनीशियनों के लिए रेडी रेकनर

# बेयरफुट ट्रेनिंग माड्यूल्स को तैयार करने वाली टेक्निकल टीम

श्री. मुकेश सी गुप्ता सीनियर एडवाइजर (कंसल्टेंट) आईएलओ श्री.ए.मुरली, आईएएस सीईओ, एसईआरपी—तेलंगाना

श्री. एम. शिवा प्रसाद सीनियर इंजीनियर, पीआरईडी, ए. पी. आईएलओ-स्विट्जरलैंड श्री. एंड्रियास ब्यूश सीनियर कंसल्टेंट,

#### और निम्नलिखित रिसोर्स पर्सन की टीम ने ट्रेनिंग मैन्यूअल्स विकसित करने में अपना सहयोग दिया।

श्री वी. मुरलीधर, कमिश्नर ऑफिस, ग्रामीण विकास, तेलंगाना

श्री सोनल कुलश्रेष्ठ, ग्रीनसिंक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, झांसी

श्री मुरलीधर खरड़िया, समाज प्रगति सहयोग, बागली

श्री दीपक आर. जरगेला, आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, अहमदाबाद

श्री ए. वेंकटेश्वर राव, पीआरईडी, हैदराबाद

श्री निर्मल कुमार, पीआरईडी, विजयवाड़ा

श्री एम. भक्तर वलि साब, वासन, हैदराबाद

श्री नरेंद्र पटेल, समाज प्रगति सहयोग, बागली

श्री राजेश मित, प्रदान, झारखंड

श्री ईश्वर बाबू बैरवा, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सेक्युरिटी, जयपुर

श्री विशाल गुप्ता, पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट, देहरादून सुश्री नुपुर श्री, सहायक सीनियर आईएलओ कंसलटेंट, समन्वयन के लिए तारा लाइवलीहुड अकँडमी टीम, झांसी ने इस माडल्यूल के हिंदी अनुवाद में सहयोग दिया मैसर्स टी2 इंफारमेशन एंड डिज़ाइन एलएलपी टीम पेज सेटिंग, डिजाइनिंग और प्रिंटिंग में सहयोग दिया

श्री एम. गंगाधर, श्री सुदीप्ता कुंडू और श्री चंदन सेन गुप्ता का स्केचेज और ड्राइंग्स बनाने में सहयोग रहा

# उपरोक्त टीम ने निम्नलिखित लोगों के संपूर्ण निर्देशन में कार्यकिया:

श्री आर. सुब्रमन्यम आईएएस, संयुक्त सचिव, मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली सुश्री गायत्री कालिया, सी.ओ.ओ., डीडीयू—जीकंवाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली श्री रोहित चंद्रा, डीडीयू—जीकंवाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली श्री मनीष कुमार, डीडीयू—जीकंवाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली सुश्री पन्नूडा बून्नपाला, ओआईसी, आईएलओ, नई दिल्ली और डीडब्ल्यूटी फॉर साउथ एशिया सुश्री मिटो टीसुकूमोटो, सीनियर एडवाइजर, डेवइनवेस्ट, आईएलओ, जेनेवा श्री पॉउल कोमिन, सीनियर स्पेशलिस्ट, स्किल्स डेवलपमेंट, आईएलओ, डीडब्ल्यूटी फॉर साउथ एशिया श्री बजोर्न जोहानेसेन, सीनियर स्पेशलिस्ट, ई.आई.आई, आईएलओ, आरओएपी, बैंकॉक सुश्री अंजना चेलानी, प्रोग्राम ऑफिसर, आईएलओ, नईदिल्ली

#### आभार

यह माड्यूल कई व्यक्तियों और एजेंसियों के सहयोग और टीम वर्क का परिणाम है। हम ग्रामीण विकास मंत्रालय और दीनदयाल उपाध्याय—ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू—जीकेवाई) और आईएलओ द्वारा मनरेगा बेयरफुट टेक्निशियन के प्रशिक्षण और विकास के लिए ट्रेनिंग माड्यूल को विकसित करने के कार्य को सौंपे जाने के प्रति आभारी हैं।

टीम विशेष तौर पर श्री आर सुब्रमन्यम, आईएएस, पूर्व संयुक्त सचिव, मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय,एवं सुश्री अपाराजता सारंगी, आईएएस संयुक्त सचिव मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय और सुश्री गायत्री कालिया, सीओओ, डीडीयू—जीकेवाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित करने और निरंतर निर्देशन देने के लिए कृतज्ञ हैं। हम सुश्री पन्नूडा बून्नपाला, सुश्री मिटो टीसुकूमोटो, श्री पॉउल कोमिन, श्री बजोर्न जोहानेसेन और आईएलओ की सुश्री अंजना चेलानी द्वारा लगातार सहयोग और निर्देशन के लिए भी धन्यवाद प्रकट करते हैं।

अगस्त, 2015

तकनीकी टीम

# विषय वस्तु

| मनरेगा के मुख्य उद्देश्य                                    | 3        |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| योग्यता                                                     | 3        |
| गैर परिवर्तनीय अथवा नॉन नेगोशिएबल                           | 3        |
| पात्रता का अधिकार                                           | 3        |
| मनरेगा के तहत पात्रता:                                      | 4        |
| मनरेगा के तहत अनुमति योग्य कामो की श्रेणियां                | 5        |
| मनरेगा के तहत नकारात्मक काम                                 | 8        |
| प्राथमिकता का स्तर                                          | 9        |
| बेरोज़गारी भत्ता                                            | 9        |
| मनरेगा की मुख्य प्रक्रियाएं एक दृष्टि में:                  | 10       |
| एक्ट के मुताबिक परिभाषाएं                                   | 11       |
| मनारेगा के अंतर्गत कार्य और इसके घटकों के बारे में परिभाषा: | 19       |
| ग्रामीण सड़कों का बनाना                                     | 22       |
| माप                                                         | 23       |
| क्विक कनवर्जन टेबल (रूपांतरण तालिका)                        | 24<br>24 |
| आयतन की माप                                                 | 25       |
| ढलान की गणना                                                | 26       |
|                                                             | 27       |
| बालू की गुणवत्ता जांच                                       | 27       |
| ईंटों की गुणवत्ता की जांच                                   | 29       |
| मोर्टार के अलग-अलग मिश्रण                                   | 30       |
| कांक्रीट के विभिन्न अनुपात                                  | 30       |
| अलग मोर्टार के अनुपात के लिए जरूरी सामग्री                  | 31       |
| विभिन्न कोणों को मार्किंग आउट करना                          | 31       |
| ज़मीन पर मार्किंग करना और सेटिंग लगाना                      | 33       |
| रेडी रेकनर                                                  | 34       |
| एमबी या मेज़रमेंट बुक कैसे भरें                             | 35       |
| महत्वपूर्ण वेबसाइट                                          | 36       |
| बीएफटी के समदाय के प्रति व्यवहार / प्रवत्ति की आधारभत बातें | 37       |

#### मनरेगा एवट

# मनरेगा के मुख्य उद्देश्य

- एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण इलाकों में मांग के अनुसार रोजगार गारंटी के तहत कम से कम 100 दिनों का अकुशल श्रम हर परिवार को मुहैया कराना, जिससे वांछित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादक संपत्ति का निर्माण हो।
- गरीबों की आजीविका के आधार को मजबूत करना।
- सामाजिक समावेश को सक्रियता से सुनिश्चित करना और
- पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना।

#### योग्यता

जिस भी परिवार के किसी भी सदस्य की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और वह ग्रामीण इलाके में रहता है, ग्रामीण इलाके में रहने वाला प्रत्येक परिवार, यदि करना चाहे तो 100 दिनों के अकुशल श्रम के काम का हकदार है,

#### गैर परिवर्तनीय अथवा नॉन नेगोशियबल

- ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी और सामग्री का अनुपात 60:40 बनाके रखना चाहिए
- ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत द्वारा किये गये सभी कार्यों में सामग्री की कीमत, कुशल व अर्द्धकुशल श्रमिकों के मेहनताने सिहत, कुल लागत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता
- कार्यों को बिना किसी ठेकेदार को शामिल किए होने चाहिए।
- काम मानवीय श्रम के इस्तेमाल से होना चाहिए और किसी भी ऐसी मशीन का इस्तेमाल नहीं हो, जो मानवीय श्रम को विस्थापित करे।
- मजदूरी का भुगतान बिना किसी लैंगिक भेदभाव काम की मात्रा के आधार पर समानता से किया जायेगा ।

#### पात्रता का अधिकार

 प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसका वयस्क सदस्य मनरेगा के तहत काम चाहता है, उसे जॉब कार्ड पाने का अधिकार है।

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों का अकुशल
   श्रम संबंधी रोजगार पाने का अधिकार है।
- मजदूरी चाहनेवालों को उनकी जरूरत के मुताबिक काम पाने का अधिकार
   है।
- अगर किसी आवेदक को काम के लिए आवेदन देने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, तो वह प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी है।
- बेहतर पारदर्शिता के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से भुगतान जरूरी है।
- काम खत्म होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान हो जाना चाहिए।

# मनरेगा के तहत पात्रताः

# काम करने की जगह पर सुविधाओं का अधिकार

- सुरक्षित पेयजलः कार्यस्थल पर सुरक्षित पेयजल मुहैया किया जाएगा।
- छाया की व्यवस्थाः कार्यस्थल पर लंच के दौरान मजदूरों के आराम के लिए छाया की व्यवस्था।
- फर्स्ट एड बॉक्सः प्रत्येक कार्यस्थल पर फर्स्ट एड बॉक्स रखा जाएगा
   और काम में आनेवाली पर्याप्त दवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- केयर टेकरः यदि काम पर आनेवाली महिलाओं के पांच साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 5 या उससे अधिक हो तो काम चाहने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए केयर टेकर होना चाहिए।
- यात्रा भत्ता या ट्रेवल अलाउंसः अगर कार्यस्थल की गांव से दूरी 5 किमी से अधिक है, तो मजदूरी के समय यात्रा भत्ता के तौर पर उसे 10 फीसदी अतिरिक्त दिया जाएगा।

- एक्स-ग्रेशिया पेमेंट या मुआवजाः किसी मनरेगा मजदूर को कार्यक्रम के तहत काम करते हुए स्थायी विकलांगता या मृत्यु की हालत में किया जानेवाला भुगतान।
- रवास्थ्य सुविधाः योजना के तहत काम करते हुए किसी मजदूर की व्यक्तिगत दुर्घटना होने पर यदि मजदूर घायल हो गया या गयी हो और उनका अस्पताल में जाना जरूरी हो तो दवाइयों और डॉक्टर का खर्च, अस्पताल का खर्च, जैसे रहना, इलाज, दवाएं और मजदूरी का भुगतान जो मजदूरी की दर से आधे से कम नहीं होगा, श्रमिकों के अधिकार के तहत आता हैं।

# I.मनरेगा के तहत अनुमति योग्य कामों की श्रेणियां II.मनरेगा के तहत अनुमति योग्य कार्य

| श्रेणी                                                                      | परियोजना/प्रोजेक्ट                    | वाम                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | जल संरक्षण                            | <ul> <li>भूमिगत डाइक</li> <li>मिट्टी के बाँध</li> <li>स्टॉप्डैम</li> <li>चेक डैम, जो भूजल को रिचार्ज करने में<br/>मदद करे, जिसमें पेयजल के स्रोत भी<br/>शामिल हैं।</li> </ul>                                                                        |
| श्रेणी एः प्राकृतिक<br>संसाधनों के प्रबंधन<br>से संबंधित<br>सार्वजनिक कार्य | वाटरशेड मैनेजमेंट<br>वर्क्स           | <ul> <li>समोच्च ट्रेंच या कंटूर ट्रेंच</li> <li>सीढ़ीदार खेत बनाना या टेरेसिंग</li> <li>कंटूर बांध</li> <li>स्टोन चेकडेम</li> <li>पीपेदार ढांचा या गैबियन स्ट्रक्चर औ<br/>स्प्रिंगशेड डेवलपमेट वाटरशेड के समस्त्रपचार के लिए किए जाते है।</li> </ul> |
|                                                                             | माइक्रो एंड माइनर ?<br>इरिगेशन वर्क्स | <ul> <li>बने हुए चैनलों का सुधार</li> <li>फीडर चैनल या नहरों से गाद हटाना औ<br/>चैनल का सुधार</li> <li>सिंचाई की नहरों और नालों का नवीकरण<br/>और पुनरुद्धार</li> </ul>                                                                               |
|                                                                             | परंपरागत जलस्रोत                      | <ul> <li>सिंचाई के टैंक की गाद हटाना</li> <li>चेक डैम और दूसरे जलस्रोतों की<br/>गाद हटाना</li> </ul>                                                                                                                                                 |

|                      |                                                          | वनीकरण                                                     | <ul> <li>साझा जमीनों में वृक्षारोपण और हॉर्टिकल्चर</li> <li>वनमूमि में वृक्षारोपण</li> <li>सड़कों के किनारे, नहर के बांध, तालाबों के बगल और तटीय इलाकों में वृक्षारोपण जिसके उपभोग का अधिकार उचित तबके और गरीबों को हो।</li> </ul> |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                          | साझा जमीन में भूमि<br>विकास के काम                         | <ul> <li>कंटूर ट्रेंच</li> <li>रटोन चेक्स</li> <li>स्टेगर्ड ट्रेंच</li> <li>अंतःसावी तालाब</li> <li>कंटूर बांघ</li> <li>खेत तालाब</li> </ul>                                                                                       |
| ४.<br>हडबुक<br>उ     | श्रेणी बीः कमजोर<br>परिवारों के लिए<br>व्यक्तिगत संपत्ति | जमीनों की<br>उत्पादकता को बढ़ाना                           | <ul> <li>भूमि विकास योजना</li> <li>ि सिंचाई के लिए उपयुक्त ढांचों, जिसमें<br/>कुएं, खेत तालाब और जल संरक्षण के<br/>अन्य ढांचों का निर्माण शामिल हों।</li> </ul>                                                                    |
| 45<br>45<br>45<br>45 | श्रेणी बीः कमजोर                                         | आजीविका को<br>बेहतर करना<br>खराब या बंजर<br>जमीन की बेहतरी | <ul> <li>व्यक्तिगत जमीन पर हॉर्टिकल्बर</li> <li>रेशम पालन या सेरिकल्बर</li> <li>वृक्षारोपण और कृशि वानिकी</li> <li>कमजोर वर्गों के लिए बंजर जमीनों का विकास ताकि वे खेती कर सकें</li> </ul>                                        |
|                      | परिवारों के लिए<br>व्यक्तिगत संपत्ति                     | घर बनाने में<br>अकुशल मजदूरी                               | <ul> <li>इंदिरा आवास योजना के तहत घर<br/>अकुशल मजदूर बना सकता है</li> </ul>                                                                                                                                                        |
|                      |                                                          | पशुपालन के लिए<br>आधारभूत ढांचा बनाना                      | <ul> <li>मुर्गीपालन (पॉल्ट्री) के लिए आश्रय</li> <li>बकरियों और सूअर के लिए आश्रय</li> <li>मवेशियों के लिए आश्रय और उनके भूसे<br/>वगैरह का स्थान बनाना</li> </ul>                                                                  |
|                      |                                                          | मत्स्यपालन को<br>बढ़ावा देने के लिए<br>इंफ्रास्ट्रक्चर     | <ul> <li>मछली सुखानेवाली जगह बनाना</li> <li>भंडारण सुविधा का निर्माण और</li> <li>सार्वजनिक जमीन पर मत्स्यपालन को<br/>बढ़ावा</li> </ul>                                                                                             |

| श्रेणी सीः<br>एनआरएलएम संबद्ध<br>स्वयं—सहायता समूह<br>के लिए साझा<br>आधारभूत ढांचा | खेतिहर उत्पादन को<br>बढ़ावा देने के लिए काम<br>स्वयं-सहायता समूह<br>की आजीविका संबंधी<br>गतिविधियों के लिए<br>इंफ्रास्ट्रक्चर | जैविक खाद के लिए जरूरी स्थायी आधारभूत ढांचा।     कृषि उत्पादों के मंडारण के लिए पक्की जगह बनाना— फसल के बाद की सुविधा     साझा एकत्रण केंद्र का निर्माण     साझा उत्पादन केंद्र का निर्माण     वएसएचजी उत्पादन व मंडारण     केंद्र का निर्माण                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रेणी डीः ग्रामीण<br>इंफ्रास्ट्रक्चर                                              | ग्रामीण स्वच्छता                                                                                                              | <ul> <li>व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण</li> <li>रंकूल में शौचालय</li> <li>आंगनबाड़ी के शौचालय अलग से या किसी अन्य योजना के साथ</li> <li>मानकों के आधार पर तरल और ठोस अवशिष्ट पदार्थों का निष्पादन</li> </ul>                                                                         |
|                                                                                    | सभी मौसम में गांवों<br>का सड़क से जुड़ाव<br>मुहैया करना                                                                       | <ul> <li>बिना जुडे हुए गांवों को सड़क से जोड़ना</li> <li>ि लिंक रोड बनाकर चिन्हित हुए ग्रामीण<br/>उत्पादन केंद्रों को पहले से मौजूद पक्की<br/>सड़कों के नेटवर्क से जोड़ना</li> <li>गांव के भीतर पक्की सड़कों और गलियों<br/>का निर्माण जिसमें नालियां और कलवर्ट भी<br/>हों</li> </ul> |
|                                                                                    |                                                                                                                               | तैयारी बढ़ाना या सड़कों समेत<br>क संसाधनों का पुनरुद्धार                                                                                                                                                                                                                             |



| श्रेणी डीः ग्रामीण<br>इंफ्रास्ट्रक्चर | तबाही से निबटने की<br>तैयारी बढ़ाना या सड़कों<br>समेत दूसरे जरूरी<br>सार्वजनिक संसाधनों का<br>पुनरुद्धार | (200 CO                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                       | इमारतों का निर्माण                                                                                       | <ul> <li>ग्राम पंचायतों का बनाना</li> <li>महिला एसएचजी फेडरेशन के लिए</li> <li>इमारत बनाना</li> <li>साइक्लोन शेल्टर की सीीपना</li> <li>आंगनवाड़ी केंद्र की सीीपना</li> <li>गांव में हाट बनाना</li> <li>गांव या ब्लॉक के स्तर पर श्मशान</li> <li>बनाना</li> </ul> |  |
|                                       | खाद्यान्न के भंडारण की इमारत बनाना                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                       | एक्ट के तहत बनी ग्रामीण परिसंपत्तियों की सुरक्षा                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

# मनरेगा के तहत नकारात्मक काम

- जो काम मापे नहीं जा सकें, जिनकी गणना न हो सके या बार बार किये जाने वाले काम, इनकी सूची आगे दी जा रही है।
- ं बोल्डर (पत्थर), कंकड़ियां, घासपात उखाड़ना, गाद हटाना आदि अलग थलग वाले काम
- सामान्य खेतिहर गतिविधियां, जैसे जमीन तैयार करना, हल चलाना, जोतना, खर-पतवार हटाना, मिट्टी पलटना, पानी देना, कटाई, आदि
- मनरेगा के तहत कुएं खुदवाने के लिए इन दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा:–
- बोरवेल और ट्यूबवेल को मनरेगा के तहत किसी भी हालत में खोदने या लगाने की अनुमित मनरेगा के तहत नहीं दी जाएगी।

- सीजीडब्ल्युबी के ताजा आकलन के मुताबिक जो इलाके अर्दध-संकटग्रस्त, संकटग्रस्त या अति-शोषित माने गए हैं, जहां कम से कम तीन किसानों के समूह को, यदि वह आपस में पानी बांटने पर सहमत हों, को ही कुआं खोदने की इजाजत मिलेगी।
- राजस्व रिकॉर्ड में सामुहिक कुओं को सामुहिक सिंचाई कुएं के तौर पर दिखाया जाएगा।

प्राथमिकता का स्तर व्यक्तिगत संपत्ति निर्माण के कामों को आगे दिए गए समूहों से आनेवालों की जमीन या घर पर वरीयता दी जाएगी:

- अनुसूचित जाति a)
- b) अनुसूचित जनजाति
- c) नोमैडिक ट्राइब्स
- d) डिनोटिफाइड टाइब
- अन्य परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे हैं e)
- जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं f)
- जिन परिवारों के मुखिया विकलांग हैं g)
- भूमि सुधार के लाभार्थी h)
- इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी 1)
- एफआरए (फॉरेस्ट राइट एक्ट, 2006) (2007 का 2) के तहत लाभान्वित अनुसूचित जाति और दूसरे पारंपरिक वनवासी ऊपर दी गयी श्रेणियों में लाभार्थी को काम देने के बाद कृशि ऋण माफी एवं ऋण राहत कानुन, 2008 में वर्णित छोटे या सीमांत किसानों की जमीन पर काम शुरू किया जा सकता है।

# बेरोजगारी भत्ता

- अगर किसी आवेदक को आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता है, तो उसे रोजाना बेरोजगारी भत्ता मिलने का भी प्रावधान है।
- यह भत्ता शुरुआती 30 दिनों के लिए मजदूरी का कम से कम एक चौथाई और बाकी वित्तीय वर्ष में पात्रता के हिसाब से मजदूरी के आधे हिस्से से कम नहीं होना चाहिए।



# मनरेगा की मुख्य प्रक्रियाएं एक दृष्टि में:

- जॉब कार्ड ग्राम पंचायत से कोई भी परिवार जॉब कार्ड का आवेदन कर उसे पा सकता है। यह कार्ड परिवार को मनरेगा के तहत मजदूरी पाने के लायक बनाता है।
- लेबर बजटः ग्राम पंचायत पूरी पंचायत वर्श भर में संभावित मजदूर परिवारों और उनके लिए आवश्यक श्रम दिवसों को चिन्हित करेगी व स्वीकृति देगी।
- काम की पहचान और योजनाः किसी वर्श में जितने श्रम दिवसों की जरूरत हो, ग्राम पंचायत उस आधार पर सम्भावित कार्यों की पहचान कर काम की अनुमित देगी। ग्राम पंचायत कार्यक्रम अधिकारी को प्रशासनिक अनुमित के लिए कामों की सिफारिश करेगी।
- 4. प्रशासनिक अनुमितः जिला कार्यक्रम अधिकारी पूरे साल के लिए होनेवाले काम को प्रशासनिक अनुमित देते हैं। ये काम ग्राम—पंचायत स्तर पर कार्यों की सूची अथवा शेल्फ ऑफ वर्क में गिने जाएंगे। अनुमित के बाद, संबंधित इंजीनियर तकनीकी अनुमित देगा।
- 5. कार्यों की सूची अथवा शेल्फ ऑफ वर्क: जीपी (ग्राम पंचायत) स्तर पर खुली और उपलब्ध मजदूरी वाले रोजगार को कार्य का 'शेल्फ ऑफ वर्क' कहा जाता है। कुछ कामों की समाप्ति के बाद बाकी बचे हुये कामों की सुची को उस समय की शेल्फ ऑफ वर्क कहा जाता है।
- 6. काम के लिए आवेदन और मांग की पहचान: मजदूरी वाला रोजगार पाने के लिए कोई भी वयरक जिसके पास जॉब कार्ड है, वह आवेदन कर सकता या सकती है। ग्राम पंचायत इसका उत्तर देगी और काम उपलब्ध कराएगी।
- काम का आवंटन और बंटवाराः मजदूरों की मांग के आधार पर ग्राम पंचायत रोजगार सहायक को काम की आरम्भ के लिए आदेश देगी। तकनीकी सहायक / बीएफटी को समूह के आकार के आधार पर कार्यस्थल और काम की मार्किंग (चिन्हीकरण) करनी होगी।
- कार्यस्थल की सुविधाः रोजगार सेवक कार्यस्थल पर सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, जैसे पेयजल, लंच लेने के समय मजदूरों के लिए छाया की व्यवस्था, मजदूरों के बच्चों के लिए आया की व्यवस्था और फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होगी।
- कार्यस्थल प्रबंधनः मजदूर स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही काम पूरा करेंगे। बीएफटी या टीए स्वीकृत मजदूरी की दर के मुताबिक उनकी मजदूरी के भुगतान के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा का अंकन करेंगे।

- 10 माप लेना और एम. बुक (मेज़रमेंट बुक)भरना: बीएफटी या टीए सप्ताह के अंत में किए गए काम की मात्रा की माप लेंगे और एम-बुक में रिकॉर्ड करेंगे। इसकी जांच सक्षम माप जॉच-अधिकारी करेंगे।
- 11 पे-ऑर्डर बनानाः कार्यक्रम अधिकारी मस्टर रोल और एम-बुक के आधार पर धनादेश (पे-ऑर्डर) तैयार करेंगे। पे-ऑर्डर से पता चलना चाहिए कि मजदूरों ने कितना काम किया और उन्हें प्रति टयक्ति कितना धन मिला।
- 12 मजदूरी का भुगतानः पे-ऑर्डर के आधार पर पोस्ट ऑफिस, बैंक या ग्राम पंचायत मजदूरी का भुगतना करेगी।
- 13 सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट): छह महीने में एक बार सोशल ऑडिट एजेंसी दी गयी मजदूरी और मजदूरों द्वारा किए गए काम और मंगाई हुई सामग्री का सोशल ऑडिट करेगी। सामाजिक अंकेक्षक सभी मजदूरों से मिलेंगे और पता करेंगे कि उन्होंने मजदूरी पायी है या नहीं। सोशल ऑडिटर काम की जगह पर जाकर यह भी देखेंगे कि कार्यस्थल पर किए भुगतान के मुताबिक कार्य है या नहीं।
- 14 शिकायत निवारणः कार्यान्वयन करने वाला विभाग ग्राम पंचायत, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर किसी भी शिकायत के निवारण के लिए स्वसिक्रय होकर शिकायत निवारण-प्रकोष्ठ बनाएगा, जो मनरेगा के तहत होनेवाले कार्मों से संबंधित किसी भी विसंगति की किसी के भी द्वारा की गयी शिकायत का निपटारा करगी तथा शिकायतों के निवारण के लिए प्रक्रिया तय व सुनिश्चित

करेगी।

# एक्ट के मुताबिक परिभाषाएं

- हाउसहोल्ड या परिवारः हाउसहोल्ड का मतलब एक ही परिवार के वे सारे सदस्य हैं, जो एक-दूसरे से खून, विवाह या गोद लेने से जुड़े हैं और सामान्य तरीके से साथ रहकर एक साझा राशन कार्ड रखते हैं या भोजन करते हैं।
- पित, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे एक ही छत के अंदर अपने भाइयों के साथ रहने के बावजूद अलग हाउसहोल्ड के तौर पर विचारे जा सकते हैं।
- वयस्क (मजदूरी चाहनेवाला): वयस्क का मतलब उससे है जिसने अपनी उम के 18 वर्ष पूरे
   कर लिए हों।
- अकुशल मानवीय कार्यः अकुशल मानवीय श्रम से मतलब किसी भी ऐसे शारीरिक काम से है, जो कोई भी वयस्क व्यक्ति बिना किसी कौशल या विशेष प्रशिक्षण के कर सकता है।
- ग्रामीण इलाकाः ग्रामीण इलाके से किसी भी राज्य में उस किसी भी इलाके से मतलब है,
   जहां कोई शहरी स्थानीय निकाय या संविधान अथवा कानून के तहत स्थापित कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं हो, ग्रामीण इलाके के अंतर्गत आता है।



# मनरेगा के तहत कुछ अनुमति योग्य कार्य

बिखरी हुई खंतियाँ या स्तेगर्ड कंट्रर ट्रॅंच (SgCT): खंतियाँ, जो ढलान के लम्बवत बनायीं जाती हैं लेकिन लगातार नहीं होतीं, बल्कि निम्न चित्रानुसार आगे पीछे होती हैं जिससे पानी को रोक सकें



लगातार कंट्रर ट्रेंचेज (CCT): खंतियाँ जो ढाल के लम्बवत लगातार बनायीं जाती है|



जलसंग्रहण ट्रेंच (WAT): यह वैसी खाई या नाली है, जो पहाड़ी के निचले हिस्से में बनायी जाती है।



खेत बांध या मेड़: खेत बांध कृषि भूमि पर बनाया जाता है, ताकि मिट्टी के अपरदन/क्षरण को रोककर मिट्टी की आर्द्रता बढ़ा सके।



कंट्र बांध: कंट्र बंध किसी भी वाटरशेड वाले इलाके के रिज वाले और साझा बेकार जमीन पर बनाया जाता है।



खोदा हुआ तालाब: एक तालाब, जो ड्रेनेज लाइन के किनारे हो, ताकि पानी का संग्रहण किया जा सके।



मौजूदा चैनल या नहरों में सुधार: सुधार के काम जैसे गाद हटाना, झाड़ी हटाना, बांध की मजबूती आदि काम ताकि नहर की पानी की क्षमता बढाई जा सके।



वृक्षारोपण-बागवानी: आम, नारंगी आदि जैसे पेड़ों को लगाकर हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने का काम मनरेगा के तहत लिया जा सकता है। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे वाले ग्रामीण परिवारों को बागवानी के लिए 100 फीसदी सहायता दी जाती है।





वृक्षारोपण-सड़क किनारे: सड़क किनारे, एवेन्यू में वृक्षारोपण, बायोमास वाले पौधे या फिर छायादार / फलदार पौधे लगाये जा सकते हैं।



वृक्षारोपण-नहर किनारेः

नहर किनारे वृक्षारोपण नहर के किनारे बंधों पर या पटरी पर किया जा सकता है।



वृक्षारोपण- बांध पर: खेतों में मेढ़ीं पर इमारती लकड़ी जैसे सागवान आदि का वृक्षारोपण मनरेगा के तहत किया जा सकता है।



वृक्षारोपण- ब्लॉक के रूप मैं: ब्लॉक वृक्षारोपण अधिकतर, गैर खेती योग्य भूमि पर वन विभाग या किसानों दवारा किया जाता है।



नर्सरी बनानाः यदि अच्छी गुणवत्ता वाले पौध तैयार की जाये तो मनरेगा में पौधशाला (नर्सरी) बनाने की अनुमति है



N A D E P कंपोस्ट पिट - एरोबिक (वायवीय/वायुजीवी/हवा के साथ होने वाली) प्रक्रिया

सभी तरह के बायोमास को उच्च गुणवत्ता वाले खाद में बदलने के लिए कंपोस्ट बनाना प्रभावी तरीका है। यह उन किसान परिवारों के लिए बहुत ही कारगर तरीका है, जहां मवेशी नहीं हैं।



कंपोस्ट पिट-पारंपरिक कंपोस्ट-एनेरोबिक (अवायविय, बिना वायु के) प्रक्रिया- एक साधारण आयताकार गड्ढा बनाकर उसमें गाय का गोंबर, खेती का बचा हुआ कूझ आदि डालना भी अनुमत कार्यों की सूची में है।



वर्मी कंपोस्ट पिट – वर्मी कंपोस्ट बनाना दरअसल बहुउपयोगी केंचुओं की मदद से खाद बनाना है जो किसी भी जैविक कूड़े को गुणवत्ता वाले खाद में बदल देते हैं।





भूमि विकास योजना-जमीन एक समान करनाः

किसानों के निजी खेतों में भूमि विकास के कार्य मनरेगा के तहत अनुमति योग्य है। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि का समतलीकरण, आकार में लाना और सीढ़ीदार बनाना है, ताकि किसानों को खेती में सुविधा हो और उत्पादकता बढ़े।



भूमि विकास योजना – तालाब की गाद का प्रयोग: टैंक सिल्ट (तालाब की गाद) का खेती की ज़मीन पर उपोयग करते हैं, ताकि ज़मीन की उपजाऊ क्षमता और जलग्रहण क्षमता बढ़े, वह और उत्पादक हो सके। यह भी मनारेगा के अंतर्गत अन्मत कार्यों की सूची में है।



भूमि विकास योजना – लूज बोल्डर चेक्स (बिना चिनाई वाले पत्थरों के बाँध): इस तरह के काम आमतौर पर ढीले तरीके से पत्थरों का बांध बनाकर नालों के बहाव को नियंत्रित करने के लिए होते हैं। स्टोन चेक पानी के वेग को रोकने के हिसाब से आकार-प्रकार के निर्धारित होते हैं।



भूमि विकास योजना-पत्थर के बांघ ; इस तरह के काम उन खेताँ में होते हैं, जहां पत्थर उपलब्ध हों। यहां मिट्टी कटाव के नियंत्रण और जल के बहाव के वेग को नियंत्रित करने के लिए पत्थरों का बांध बनाते हैं।.



#### पर्कोलेशन डैम या अंतः

सावी तालाब- यह तालाब भूजल के पुनर्भरण के लिए बनाए जाते हैं। ऐसी सरंचनाएं अधिकतर कैचमेंट एरिया के ऊपरी हिस्से में बनाते हैं।



खुले कुए: खुले हुए कुएं छोटे किसानों, खासकर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अच्छी संपत्ति होते हैं। इससे वे खेतों में सिंचाई के अलावा अपना जीवन स्तर भी सुधार सकते हैं।



चेक डैम: चेक डैम, सीमेंट कंक्रीट और रैंडम रब्बल (RR) स्टोन मैसनरी के साथ बनाए जाते हैं, जो पानी के क्षेतिज दबाव को अपने खुद के भार प्रतिरोधित करते (सहते) हैं। चेक डैम बारिश के पानी को रोकने के लिए दूसरे या तीसरे क्रम के नालों में बनाये जाते हैं।



मैबियन स्ट्रक्चर: 50-500 हेक्टेयर के कैचमेंट वाले नालों में मैबियन सरंचनाये तारों और पत्थरों की मदद से बनायीं जा सकती हैं, ये बहुत तेजी से क्षरित (कटने) वाले नदी नालों के किनारों को मजबूत करने में भी इस्तेमाल होते हैं।





ग्रामीण सड़क संपर्कः जहां अब तक सड़क (रोड) नहीं है वहां सभी मौसमों में गांवों तक पहुंचनेवाली सड़क बनवाना, और पहचाने हुए ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को मौजूद पक्का रोड नेटवर्क से जोड़ना।

ग्रामीण स्वच्छता- शाँचालय निर्माणः टयक्तिगत शाँचालय, स्कूल की शाँचालय इकाई या फिर आंगनबाड़ी के शाँचालय जो दूसरे सरकारी विभागों के साथ मिलकर भी बनाये जा सकते हैं, बनं, ताकि खुले में शाँच से छुटकारा मिले।स्थापित मानकों के अनुरूप ठोस और तरल कूड़े का निपटान।

जानवरों के लिए जल हाँद: सार्वजनिक जमीन या गांव में साझा जगह पर जानवरों के लिए पीने का पानी मुहैया कराना।

ग्राम पंचायत की इमारत का निर्माण: ग्राम पंचायत की इमारत के बनने से ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर मनरेगा के काम करने में मदद मिलेगी।









BNRGSK (भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केंद्र) का निर्माण: ब्लॉक स्तर पर एक मीटिंग हॉल होगा, जहां लगभग 80-100 लोग बैठ सकें। एक कमरा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय के लिए होगा और दूसरे कमरे का प्रयोग जन संपर्क और आइसीटी सेवाओं के लिए होगा।



# मनारेगा के अंतर्गत कार्य और इसके घटकों के बारे में परिभाषा:

वाटरशेड(जलागम) क्या है? वाटरशेड ज़मीन का वह इलाका है, जिसमे होने वाली बारिश का सारा पानी एक ही बिंदू से निकल जाता है।

- अायाकट (Ayacut): वह इलाका, जिस्में किसी भी सिंचाई परियोजना, या तालाब से सप्लाई वाली नहर के जिरए पानी दिया जाए आयाकट कहलाता है। यह सामान्यतः हेक्टेयर या एकड में दिखाया जाता है।
- बैकयार्ड (Backyard) घर का पिछला इलाका, खासकर वह अगर घास या दूसरे पेड़ों से घिरा हो, बैकयार्ड कहलाता है।
- √ बर्म (Berm): दूरी या बर्म वह दूरी है, जो खाई (गड्ढे) और बांध के बीच में होती है।
- जैव-अपक्षय (Biodegradation): यह वह प्रक्रिया है, जिसमें जैविक/ कार्बनिक कूड़े को सूक्ष्म जीवों (खासकर एरोबिक कीटाणुओं) के द्वारा सड़ा कर खाद बना दिआ जाता है।
- नहर या कनातः नहर एक कृत्रिम या मानव निर्मित सरंचना है, जिससे होकर पानी गुरुत्व की शक्ति के द्वारा एक से दूसरी जगह जाता है। यह चैनल से बडा होता है।
- कैचमेंट एरियाः वह इलाका, जो जल सरंक्षण सम्बंधित सरंचना / ढांचे या स्थान के ऊपर हो, जहाँ का जल एकत्रित होकर इस सरंचना या बिंद तक पहँचता है।
- कैचमेंटः वह इलाका, जहां नदी बारिश के पानी को पकड़ लेती है, कैचमेंट कहलाता है।



🗸 चैनेज: आमतौर पर चैनेज एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्षेतिज दूरी 30 मीटर होती है। यह उस दूरी के बीच के बिंदु है। इसकी दूरी जलाशय के आकार के आधार पर आवश्यकतान्सार निर्भर है। कई बार चैनेज 10,15,20,25 मी के अंतराल पर लिए जाते हैं। चाइनेज वह महत्पूर्ण रेफरेंस प्वाइंट हैं, जहां चौड़ाई और गहराई के आंकड़े लिए जाते हैं और मात्रा की गणना के लिए औसत निकाला जाता है।

✓ चैनलः चैनल वर्षाजल या सिंचाई के पानी को गुरुत्व बल की ताकत से एक बिंदु से दूसरे बिंदू तक ले जाने के लिए बनाया गया एक रास्ता है।

 ✓ साझा संपत्ति संसाधन (CPR): सीपीआर प्राकृतिक या भौतिक संसाधन हैं, जिनका मालिकाना हक किसी एक का न होकर पूरे समुदाय या समाज का है।

✓ कंपोस्टिंगः खेती सम्बंधित या अन्य कुड़े को सड़ाने-गलाने की प्रक्रिया कम्पोस्टिंग कहलाती है। यह ज़मीन की उर्वेरता के लिए बहुत उपयोगी है।

ट्यास: यह वृत्त की सबसे बड़ी रेखा के तौर पर जानी जाती है। व्यास वृत्त के एक तरफ से शुरू होती है तथा केंद्र से होकर दूसरी तरफ जाता है।

डाउनहिल साइड (दलान की तरफ): यह किसी ढाल वाले इलाके में निचला हिस्सा है, जहां से पानी बहता है। डाउनस्ट्रीम (प्रवाह की दिशा में) साइडः ढांचे या सरंचना का नीचे वाली

दिशा, जिस तरफ पानी बहता है, डाउन स्ट्रीम साइड कहलाती है।

डेनेज लाइनः एक नाला, जो वर्षाजल को बहने देता है, डेनेज लाइन कहलाता है।

झरने, नदी, नाले सभी ड्रेनेज लाइन ही हैं। इबैकमेंट या पुश्ता या किनारे: ढांचे पर नाले के दोनों तरफ वाले किनारे, जो इसे थामें

रखते हैं। इसे साइड या फ्लैंक भी कहते हैं।

फ्री बोर्ड: मुख्य बाँध की ऊंचाई का वह हिस्सा जो उसमें भरे पूरे पानी को छलकने को ध्यान में रख कर तय किया जाता है, फ्री बोर्ड कहते हैं। फ्री बोर्ड की ऊंचाई कैचमेंट एरिया, वर्षा, ढलान, हरियाली, मिटटी के प्रकार और पानी के वेग पर निर्भर करता है।

चैनल का ग्रैडिएंट या ढाल: ग्रैडिएंट किसी चैनल के ताल का ढलान है, जो पानी के आसान बहाव को तय करता है। (पानी का वेग इस तरह हो कि न तो गाद जमा हो और न ही भूमि का कटाव हो।

हरित जैविक पदार्थ: पौधों तथा कृषि से सम्बंधित हरित अवशेष पदार्थों को हरित जैविक पदार्थ या Green biomass कहते हैं।


|                                     | - सामान्यतः आवासीय वातावरण में पैदा होनेवाला कुड़ा ही घरेल्                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| घरेल् कूड़ाः                        | नूडा कहलाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इनलेटः                              | : एक बिंदु, जहां से पानी तालाब या पोखर में गिरता है, इनलेट<br>कहलाता है।                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्राकृतिक संसाधनः                   | : ज़मीन, पानी, हरियाली इत्यादि जो प्राकृतिक रूप से हमें<br>उपलब्ध होते हैं और काफी लाभकारी होते हैं।                                                                                                                                                                                                                           |
| गैर कृषि योग्य<br>(नॉन एरेबल लैंड): | वह ज़मीन जो खेती के लायक नहीं है, जिसमें निम्त में से कम से कम एक कम<br>हो: ताज़ा पानी का स्रोत नहीं हो, अत्यधिक गरम (मरुस्थल) हो, अत्यधिक चहान<br>हो, पहाडी हो, बहुत लवणीय हो, बहुत अधिक बारिश वाली हो, बहुत अधिक बर्प<br>पड़ती हो, बहुत अधिक प्रदूषण हो, अथवा पोषक तत्वों की बहुत कमी हो, गैर कृषि<br>योग्य भूमि कहलाती हैं। |
| जैविक कूड़ाः                        | : यह जैव-अपघटक कूड़ा है, जिसमें की किसी भी तरह का प्लास्टिक, रेडियाँ<br>एक्टिव कूड़ा या हानिकारक तत्व अपने में नहीं रखता है।                                                                                                                                                                                                   |
| आउटलेटः                             | : वह बिंदु जहां से अतिरिक्त पानी तालाब या टैंक या जलागम क्षेत्र से बाहर<br>निकल जाता है।                                                                                                                                                                                                                                       |
| पारापेट वॉलः                        | ्यह कुएं के चरों तरफ ज़मीन से ऊपर बनायी गयी रक्षात्मक दीवार है, जो मिड़ी वे<br>कट के कए में जाने से रोकती हैं                                                                                                                                                                                                                  |
| पारगम्यता :                         | : यह (पोरंस) मिही की एक ख़ासियत वा गुण है, जो मिही में पानी के बहाव की<br>अनुमति देता है। हम इसे मिटटी की जल धारण क्षमता के तौर पर भी जानते हैं।                                                                                                                                                                               |
| पूर्व-माप                           | : पुनरुद्वार या मरम्मत के पहले लिया गया माप। आम तौर पर या<br>आंकलन तैयार करने और वास्तविक काम की गणना में मदद करत<br>है।                                                                                                                                                                                                       |
| उत्पादकता                           | यह उत्पादन में सुधार की प्रभाविता की माप है। उदाहरणः एक एकड़ सूखी जमी<br>में दो टन मक्का होता है, जल और मिट्टी संरक्षण के काम के बाद उसी एक एकड़<br>तीन टन मक्का हुआ और उत्पादकता 1 टन बढ़ गयी।                                                                                                                                |
| वर्षा                               | ्बारिश होने पर किसी भी क्षैतिज सतह पर होने वाली वर्षा का जल जितनी ऊंचा<br>तक पहुंचेगा, उसे वर्षा के मापन का नाप मांगते हैं। यदि यह ऊंचाई 10 मिमी है<br>तो कहा जाता है कि वर्षा (रेनफॉल) 10 मिमी हुआ है।                                                                                                                        |
| रिज                                 | : वाटरशेड का शीर्ष, जहां से वाटरशेड या जलागम का ढलान शुरू होता है।                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रन ऑफ /<br>अपवाहः                   | वह पानी जो जमीन की सतह पर भूमि के सोख लेने के बावजूद बहने के लिए<br>रह ही जाता है और बहता है . उसे ही रन-ऑफ कहते हैं।                                                                                                                                                                                                          |



| सैगिंग                  | 2   | जब किसी ढांचे के लिए उचित नींच नहीं मुहैया होती, तो पानी उसके नीचे \ से<br>निकलने लगता है। इससे पत्यरों का जुड़ाव कमज़ोर होता है और पत्यर खिसकने<br>लगते हैं. एक बार पत्थर खिसकने से ढांचा कुछ नीचे बैठ जाता है। इसे ही<br>सैगिंग कहते हैं। |
|-------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्षरण                   | *   | मिट्टी का जल या हवा के बहाव से होने वाला कटाव या अपरदन होना<br>क्षरण कहलाता है                                                                                                                                                              |
| अपहिल साइडः             | *   | यह पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा होता है, जहां से पानी आता है।                                                                                                                                                                                      |
| घाटी                    | :   | वाटरशेड या जलागम का सबसे निचला इलाका घाटी कहलाता है।                                                                                                                                                                                        |
| जड़ निकालना             | ;   | मिट्टी को खोदकर पाँधाँ की जड़ों को निकालना, ताकि जड़ाँ द्वारा पुन:<br>पाँधाँ को लगाया जा सके।                                                                                                                                               |
| अपस्ट्रीम साइड<br>स्लोप | *   | यह बांध के ऊपर वाली तरफ का ढाल का आधार और ऊंचाई/गहराई का<br>अनुपात है।                                                                                                                                                                      |
| अपस्ट्रीम साइडः         | **  | स्थान या दांचे से धारा के ऊपरी हिस्से की दिशा। यह वह दिशा है जिस<br>तरफ से पानी आ रहा है।                                                                                                                                                   |
| वेलोसिटी या<br>त्वरण    | :   | वेलोसिटी से आशय उस समय से हैं, जो वर्षाजल एक जगह से दूसरी जगह<br>डाउनहिल साइड में आने पर लेता है।                                                                                                                                           |
| वाटर बॉडी               | *** | यह प्राकृतिक या मानव निर्मित वह आकार है, जिसमें पानी आकर रहता<br>या ठहरता है।                                                                                                                                                               |

# ग्रामीण सड़कों का बनाना सड़कों के खास फीचर





# ग्रामीण सड़कों के लिए परिभाषा और शर्तें

| संरेखीकरण             | :  | सड़क की मध्य रेखा की दिशा                                                                                                                                      |  |
|-----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| गाड़ियों का<br>रास्ता |    | सड़क का वह हिस्सा (ढलान वाला हिस्सा छोड़कर), जो गाडियों के<br>आवागमन के लिए है।                                                                                |  |
| मेहराब                | :  | गाडियों के आवागमन के रास्ते की मध्यरेखा से किनारे<br>किनारे तक के सीधे डाल को मेहराब कहते हैं।                                                                 |  |
| कैम्बर<br>फॉरमेशन     | ** | मेहराब बनावट उप सतह के ऊपर वाली सतह जो कि अधिकतर<br>किनारे की नालियों से निकाली गयी मिट्टी से बनती हैं। सड़क<br>बनाने के लिए रोड़ी मेहराब पर ही डाली जाती हैं। |  |
| मध्यरेखा              | :  | सड़क की लम्बाई के साथ चलने वाली एक सैद्धांतिक रेखा जो सड़क को दो<br>समान भागों में विभाजित करती हैं, मध्यरेखा कहलाती है।                                       |  |
| ताज या क्राउन         | :  | जब सड़क सतह मेहराब आकार में हो तब मध्यरेखा पर स्थित<br>सड़क का सबसे ऊंचा बिन्दु ताज या क्राउन कहलाता है।                                                       |  |



| कतवर्ट/पुतिया                       | सड़क के नीचे से जल निकास की संरचना जो जल को ढाल के अनुसार सड़क के दूसरी<br>तरफ जाने की सुविधा देती है को कलवर्ट कहते हैं। अधिकतर यह कंक्रीट के पाइप होते हैं।                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| किनारे की नाली                      | नाली, सड़क की ढलान के साथ वाली ड्रेनेज चैनल होती हैं जो सड़क से बहते पानी को<br>इकड़ा करती हैं और जो आसपास की जगह के पानी को सड़क की सतह पर जाने से<br>रोकती है।                                                |
| बजरी की सतह                         | बजरी सड़क की सबसे ऊपरी सतह बजरी सतह या ळतंअमस बवनतेम कहलाती है। बजरी<br>दानेदार मिट्टी होती है जिसमें छोटे-छोटे पत्थर होते हैं। इसमें बारीक या चीका मिट्टी<br>अनुपस्थित होती है।                                |
| सड़क क्षेत्र                        | भूमि का खाली हिस्सा जहां सड़क और इसके घटक निर्मित किये जाते हैं।                                                                                                                                                |
| कटाव नियंत्रण                       | नाली की राह में चैनल की ढाल को कम करने वाली रुकावटें लगायी जाती हैं ताकि पानी<br>बहने की गति कम हो सके। अधिक ढलान वाली सड़कों में कटाव रोकने के लिए यह<br>आवश्यक है।                                            |
| डलान/कटरी                           | रास्ते की दोनों तरफ का विस्तारित भाग, जो आमतौर पर डब्ल्यूबीएम या बजरी से बनाया<br>जाता है।                                                                                                                      |
| जल बंधित की रोडी<br>वाली सड़क (WBM) | टूटे पत्थरों के साथ बनी अच्छी तरह से रोल की गई सड़क, जिसकी सतह,बजरी और मिट्टी<br>के पतले मिश्रण से बनती है और जिस पत्थरों को जोड़कर रखने के लिए पानी डाला जाता<br>है को जल बंधित रोड़ी वाली सड़क या ॅठड कहते है |
| ब्लॉक टॉप रोड (बीटी)                | 6 मिमी-20 मिमी आकार के पत्थरों से बनी अस्फाल्ट/डामर से बनी सड़क की सतह।                                                                                                                                         |

### माप क्विक कनवर्जन टेबल (रूपांतरण तालिका)


| रुपांतरण तालि | का |                 | रूपांतरण तालिक            | ī        |                 |
|---------------|----|-----------------|---------------------------|----------|-----------------|
| लंबाई         |    |                 | क्षेत्रफल                 |          |                 |
| 1 सेंटीमीटर   | =  | 10 मिलीमीटर     | 1 हेक्टे                  | =        | 2.47 एकड़       |
| 1 मीटर        | =  | 100 सेंटीमीटर   | 1 एकड़                    | =        | 4046.86 वर्ग मी |
| 1 किलोमीटर    | =  | 1000मीटर        | 1 वर्ग किलोमीटर           | ζ =      | 100 हेक्टेयर    |
| 1 फीट         | =  | 12 इंच          | 1 वर्ग मीटर               | =        | 10.76 वर्गफीट   |
| 1 गज          | =  | 3 फीट           |                           |          |                 |
| 1 मील         | =  | 1760 ਗਤ         | रूपांतरण तालिव            | hI .     |                 |
| 1 मील         | =  | 1.609 किमी      | आयतन                      |          |                 |
| 1 मीटर        | =  | 3.28 फੀਟ        |                           | •        |                 |
| 1 फुट         | =  | 30.48 सेंटीमीटर | 1 m3 (या क्यू             |          |                 |
| । फुट<br>।इंच | =  | 2.54 सेंटीमीटर  | 1 m3 (या १ कर<br>फीट(ft3) | यू मा) = | = 35.31 घन      |
|               |    |                 | 1 (or 1 घन फीट            | ) ft3 =  | 28.32 m3        |

# क्षेत्रफल की माप


| Shape         | Area    | Shape             | Area                  |
|---------------|---------|-------------------|-----------------------|
| Square        | аха     | Rectangle:        | axb                   |
| Triangle<br>b | ½ x axh | Trapezoid:  a h b | ½ (a+b) xh            |
| Rhombus:      | axh     | Circle:           | ¼ x d <sup>2</sup> xp |



#### आयतन की माप




Rectangular Prism:




Quadrilateral Prism:

$$V = \frac{a+b}{2} \times h \times c$$



Triangular Prism:

$$V = \underbrace{a \times b}_{?} \times c$$




Cylinder: area x h

area x h
$$V = \frac{d^2 x?}{4} \times h$$

# ढलान की गणना



# ढलान को प्रतिशत या अन्पात में दिखा सकते हैं



slope = height / base
height = base x slope
base = height / slope

# बालू की गुणवत्ता जांच


# 1. बोतल में जांच (बॉटल टेस्ट)


- A. एक बड़ा चौड़े मुंह वाला शीशे का जार लें।
- B. जार के तल को ५ सेमी तक बालू से भर दें।
- C. जार में साफ पानी तब तक डालें, जब तक वह तीन-तिहाई भर न जाए।
- D. उपलब्ध होने पर दो चम्मच नमक प्रति लीटर पानी में डालें।
- E. जार को बंद कर एक मिनट तक इसे तेज़-तेज़ हिलाएं।
- F. तीन घंटे के लिए इसे छोड़ दें।
- G. बालू की सतह को जांचें। यदि इसमें दोमट मिट्टी होगी तो यह बालू के ऊपर आ जाएगी।
- H. यदि दोमट की सतह (गंदगी) तीन मिमी से अधिक है, तो बालू को जरूर धोना होगा।











# ईंटों की ग्णवत्ता की जांच :

आकार: ईंट को आयताकार और तीखे और सीधे किनारों वाला होना चाहिए। हरेक ईंट एक समान हो और कोई भी टूटा कोना या किनारा न हो। भारत में हरेक क्षेत्र के हिसाब से ईंटों का आकार बदल जाता है।

आवाजः यदि दो ईंटों के टकराने पर साफ-साफ घंटी जैसी आवाज़ आती है ईंट की गुणवत्ता अच्छी मानी जा सकती है

गिरने की जांचः यदि एक ईट को कड़ी सतह पर सीधी ऊंचाई में एक मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो एक ईंट को टूटना नहीं चाहिए।

# 也

# सीमेंट के अंडारण में ध्यान रखें

- U
- सीमेंट को इमारत में किसी ऐसी जगह या छाया में अंडारण करना चाहिए, जो सूखा हो, पानी से अप्रभावित और आर्द्रता से दूर हो। सीमेंट को बैग में रखना चाहिए और किसी भी तरह की आर्द्रता या नमी को उनके संपर्क में आने से बचने देना चाहिए।
- 2. एक ढेर में दस से अधिक बोरियां नहीं होनी चाहिए, ताकि दबाव में उसके गुठली पड़ने की संभावना नहीं हो।
- 3. मॉनसून के दौरान या लंबे समय तक जब उसे खुले में रहना हो, तो ढेर को पूरी तरह किसी वाटरपूफ पदार्थ से ढंक देना चाहिए, जैसे पॉलीथीन, जो ढेर को ऊपर से नीचे तक ढंक ले।
- 4. गनी बैग, पेपर बैग या पॉलीथीन बैग में रखे सीमेंट को अलग से रखना चाहिए।



# मोर्टार के अलग-अलग मिश्रण

| Cement Bucket | Sand Buckets |
|---------------|--------------|
| 1:4           |              |
| 1.6           |              |
| 1:8           |              |

# कांक्रीट के विभिन्न अनुपातः

| Concrete<br>type | Proportion<br>Cement | Proportion Sand | Proportion Aggregates |
|------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| M 10             | 0                    | 000             | 900                   |
| M 15             | •                    | • •             | 9 9 9                 |
| M 20             |                      | 9               |                       |
| M 25             | 0                    | •               | • •                   |

# अलग मोर्टार के अनुपात के लिए जरूरी सामग्री:

| 1 | लाइम मोर्टार<br>प्रति क्यू मी                       | लाइम                 | बाल्                 |                     |                       |
|---|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | सीमेंट मोटार<br>प्रति घन मी                         | सीमेंट               | बाल्                 | सीमेंट बैग          |                       |
|   | 1:2                                                 | 0.5                  | 1                    | 14.4                |                       |
|   | 1:3                                                 | 0.33                 | 1                    | 9.5                 |                       |
|   | 1:4                                                 | 0.25                 | 1                    | 7.2                 |                       |
|   | 1:6                                                 | 0.16                 | 1                    | 4.6                 |                       |
|   | 1:8                                                 | 0.12                 | 1                    | 3.46                |                       |
| - | A 44 1 A                                            | -                    |                      |                     |                       |
| 3 | सीमेंट कांक्रीट<br>मोटीर प्रति<br>घन मी             | ਸੇਟਲ                 | सीमेंट               | बाल्                | सीमेंट बैग            |
| 3 | मोर्टार प्रति                                       | ਸੇਟ <b>ਲ</b><br>0.77 | सीमेंट<br>0.4        | बाल् 0.3            | सीमेंट बैग<br>11.52   |
| 3 | मोर्टार प्रति<br>घन मी                              |                      | 1000000              |                     | S00000 2007           |
| 3 | मोर्टार प्रति<br>घन मी<br>1:1:2                     | 0.77                 | 0.4                  | 0.3                 | 11.52                 |
| 3 | मोर्टार प्रति<br>घन मी<br>1:1:2<br>1:1/2:3          | 0.77                 | 0.4                  | 0.3                 | 11.52<br>8.15         |
| 3 | मोर्टार प्रति<br>घन मी<br>1:1:2<br>1:1/2:3<br>1:2:4 | 0.77<br>0.82<br>0.85 | 0.4<br>0.283<br>0.22 | 0.3<br>0.41<br>0.43 | 11.52<br>8.15<br>6.37 |

## विभिन्न कोणों को मार्किंग आउट करना:

एक सही कोण बिठाना (90°)

यह मुख्यतः (WHS) इमारतों की नींव, सड़क

आदि में काम लाया जाता है।

सही कोण नीचे दिए गए तरीके से बनाए त्रिकोण के आधार पर किया जाता है, जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 मीटर हो. साथ ही चित्र १. और २ भी देखें।



चित्र 1- सही कोण बनाना







चित्र 2- सही कोण बनाना

- एबी की लंबाई सेंटरलाइन के साथ
   मीटर करें। ए और बी बिंदु पर पेग्स को रखें।
- 2. पेग ए पर टेप के माप का ॰ रखें। 3.दूसरा व्यक्ति 8.00 मीटर तक ले जाकर पेग बी पर टेप को रखे।
- 4. तीसरा व्यक्ति टेप के माप को ५ मीटर पर रखता है, जो प्वाइंट सी पर जाएगा, जब टेप का माप सीधा रखा जाएगा।
- 45 डिग्री का कोण पर रखना: चित्र 3 के माध्यम से इसे बताया गया है।
- पहले ऊपर बताए तरीके से सही कोण बनाएं।
- दोनों ही रेखाओं पर बराबर दूरी रखे, जो बिंदु बी से शुरू हो।
   उदाहरण के लिए 300 मीटर और पेग ए और सी लगाएं।





Figure 3- Setting out 450


- 3. बिंदु ए और सी के बीच रस्सी की रेखा से इस दूरी की नाप ले लें।
- ए से सी की दूरी को दो से भाग दें और पेग डी को ठीक इस दूरी के बीच में सेट करें।
- नयी लाइन (रेखा) बी से डी को एक रस्सी से बनाएं और इसे जरूरत होने पर डी से आगे बढाएं।

# ज़मीन पर मार्किंग करना और सेटिंग लगाना

यह प्रक्रिया उदाहरण के जरिए समझायी गयी है। मान लीजिए कि 20 मज़द्रों का समूह एक दिन के लिए उपलब्ध है, और कड़ी मिही में खुदाई के लिए अनुजापित प्राक्कलित दर 1.00रुपए प्रति क्यूबिक मीटर हो गया। आखिर, समूह दवारा कितना न्युनतम कार्य करना चाहिए, ताकि एक मजद्री चाहनेवाला 200 रुपए न्युनतम कमा सके? और, इस समूह को कैसे मार्क-आउट दिया जाए?

- समह में उपलब्ध मजदूरों की संख्या 20 है और न्युनतम मजद्री प्रति व्यक्ति 200 रुपए प्रतिदिन है।
- दिन के अंत में समृह को जो रुपए देने हैं=20x200=रुपए 4.000/-





- लंबाई 20 मी को मापने वाले टेप की सहायता से मार्क करें और चुना लगा दें।
- दोनों किनारों पर लंबवत रेखाएं खींचे, जिसे 3x4x5 पद्धित से किया जाए और २ मी चौड़ाई पर मार्क भाउट करे।
- एक टॅपलेंट (शायद छड़ी) 1.0मी की बनाएं, ताकि गड़ढे की एक समान गहराई की माप हो सके।

गड़ढे के केंद्र में एक रेफरेंस पिलर ऊंचाई को मापने के लिए रखें।

|     | D. |   |   |  |
|-----|----|---|---|--|
| जरू | रा | ल | ग |  |

जरूरी सामग्री

- बीएफटी-। नापनेवाला टेप-1
- सहायक-1
- चूना

डायमेंशन या आयाम की गणना का फॉर्म्लाः

रकम=मात्रा×दर

आयतन = लंबार्ड x चौडार्ड x गहरार्ड (या ऊंचाई)

यदि लंबाई-चौड़ाई पता है, तो गहराई इस फॉर्मुले से पता की जा सकती

गहराई= आयतन/ (लंबाई x चौडाई)





| और न्यूनतम मजद्री हैर प्रति दिन |
|---------------------------------|
| प्रति 1<br>क्यू.मी. दर मजदूर    |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |

# एमबी या मेज़रमेंट बुक कैसे भरें एमबी में मापों को कैसे रिकॉर्ड करें

एमबी के दो तरह के प्रारूप होते हैं, एक तो बायीं ओर के पन्नों वाला और दूसरा दाहिनी तरफ के पन्नों वाला। दोनों ही तरह के प्रारूप नीचे दिए गए हैं।

#### बाएं तरफ पेज वाले का प्रारूप:

| काम का नामः कंपोस्ट पिट का बनना      | काम की आइडी |
|--------------------------------------|-------------|
| मस्टर पीरियड: 8.12.2014 - 15.12.2014 | मस्टर नंबर  |

| क्रम<br>सं | तकनीकी अनुमति<br>के मुताबिक टास्क<br>नंबर |    |   | लंबाई | चौड़ाई | गहराई/<br>ऊंचाई |
|------------|-------------------------------------------|----|---|-------|--------|-----------------|
| 1          | 2                                         | -3 | 4 | 5     | 6      | 7               |

एमबी में दाहिनी ओर का पन्ना बीओक्यू यानी बिल ऑफ क्वांटिटी के रिकॉर्ड के लिए है। यह पहले ही लर्निंग यूनिट के एलिमेंट 6 में विस्तार से बताया जा चुका है, हालांकि हम एक बार फिर वह प्रारूप दे रहे हैं।

| तकनीकी अनुमति | प्रशासनिक अनुमति सं. |
|---------------|----------------------|
| मस्टर पीरियंड | प्राक्कलित लागत      |

| सप्ताह के दौरान किए गए काम की मात्रा | इकाई | दर | रकम |  |
|--------------------------------------|------|----|-----|--|
| 8                                    | 9    | 10 | 11  |  |
|                                      |      |    |     |  |



# महत्वपूर्ण वेबसाइट

| नाम / विवरण            | उद्देश्य                                                                                                                      | लिक                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मनरेगा<br>ऑफिशियल साइट | मनरेगा संबंधी सभी आधिकारिक<br>जानकारी इस पर पा सकते हैं                                                                       | www.nrega.nic.in                                                                                    |
| ग्गल                   | वेब पर किसी भी जानकारी को पाने के<br>लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें<br>सर्च के लिए की वर्ड डालने होते हैं।                 | www.google.co.in                                                                                    |
| जी-मेल                 | नया ई-मेल अकाउंट बनाने या<br>अपना मेल देखने के लिए (दूसरी भी<br>साइट्स हैं)                                                   | www.gmail.com                                                                                       |
| आइआरसीटीसी             |                                                                                                                               | www.irctc.co.in                                                                                     |
| जेला NIC site          | जिला संबंधी जानकारी के लिए,<br>कुछ राज्यों ने जिले का<br>आधिकारिक वेबसाइट ही NIC sites<br>पर बना दिया है।                     | www.district_name.nic.in<br>e,g, www.bhopal.nic.in<br>(Bhopal)<br>www.dehradun.nic.in<br>(Dehradun) |
| य्-ट्यूब               | सूचनार्थक वीडियो को देखने और<br>डाउनलोड करने के लिए। आपको<br>की-वर्ड्स डालने होते हैं, जिस बारे<br>में आप वीडियो खोज रहे हैं। | www.youtube.com                                                                                     |
| फेसबुक                 | यह सोशल नेटवर्किंग साइट है।<br>इससे आप अपने दोस्तों के साथ,<br>परिवार के सदस्यों के साथ जुड़<br>सकते हैं।                     | www.facebook.com                                                                                    |
| Gol Web-<br>directory  | मंत्रालयों और सभी राष्ट्रीय जरूरी<br>विभागों से संबंधित साइट्स आप यहां<br>देख सकते हैं।                                       | http://goidirectory.nic.in/                                                                         |
| एसबीआइ                 | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट<br>संबंधी जानकारी और उससे ऑनलाइन<br>अकाउंट चलाने के लिए।                                       | www.onlinesbi.com                                                                                   |
| राज्य संबंधी<br>साइट   | कृपया अपने राज्य से संबंधित<br>जरूरी साइटस डालें ।                                                                            |                                                                                                     |

## बीएफटी के समुदाय के प्रति व्यवहार/प्रवृत्ति की आधारभूत बातें :

#### काम होने के दौरान बीएफटी के व्यवहार और प्रवृत्ति संबंधी बात:

- ं हमेशा हंसमुख रहें।
- ः समुदाय को महसूस कराएं कि आप उनके लिए मूल्यवान हो। बह्त अधिक मीठा न करें, लोग बोर हो जाते हैं।
- उनका अभिवादन करें, ताकि मज़दूरों को लगे कि आप वहां उनके लिए हैं।
- सम्दाय की बात ध्यान से सुनें और उनकी ज़रुरत को समझें।
- सम्दाय से सीखें, उनके काम में मदद करें।
- ं रोब न जमाएं-समुदाय को आदेश न दें।
- ् आषण न दें।
- उनको काम के बीच में न टोका करें।
- लोगों की राय का सम्मान करें।
- मदद को तैयार रहें, यह भरोसा और विश्वास पैदा करता है।
- ः समुदाय या समूह को उनकी सह्तियत की जगह पर मिलें।
- सभी समुदायों, खासकर एससी और एसटी को जरूर सम्मिलित करें।
- ं समूह में साथ काम करने की इच्छा।
- ं स्थानीय लोगों और परंपरा का सम्मान।
- ं सुनने की काबिलियत, न कि उपदेश देने की।
- स्व-आलोचनात्मक होने की काबिलियत।
- ं दूसरों में अभिरुचि और जानने की इच्छा।
- सभी समय जेंडर-सेंसिटिव रहें।
- ं गरीबों से सहानुभ्ति।
- ं ये न केवल काम कराने में, बल्कि जीवन में सामान्यतया भी बहुत जरूरी खासियतें हैं।

#### व्यवहारः

- एक फेसिलिटेटर के तौर पर- गांववालों और मजदूरों के बीच वार्ता-बहस की शुरुआत कराएं और समुदाय को इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का मौका दें। साथ ही, स्थानीय और देशज ज्ञान को तरजीह दें।
- टीमवर्क के तौर पर- केवल सारे संसाधनों का प्रबंधन कर, प्रक्रिया को बाधित करनेवालों से बात कर गांव के नेतृत्व से समझौता करता है। मूलभूत तौर पर गुणवत्तापरक काम का कार्यान्वयन करवाता है।